

552/Adc/2020

Bhopal, Date, 23/07/2020

To,

The Consultant (Judicial)
National Green Tribunal, (P.B.)
New Delhi

(judicial-ngt@gov.in)

- Sub: Regarding submission of report by the Committee constituted by Hon'ble National Green Tribunal for submission of factual report and ATR as per order dated 29/06/2020 in the matter of OA 32/2020.
- Ref: Order dated 29/06/2020 in the matter of OA 32/2020 by Hon'ble National Green Tribunal.

As per order the report of the Committee constituted by Hon'ble National Green Tribunal for submission of factual report and ATR as per order dated 29/06/2020 in the matter of OA 32/2020 is attached herewith.



(Harendra Narayan (IAS))
Additional Commissioner
Bhopal Municipal Corporation

**JOINT VISIT REPORT OF GOVERNMENT HOUSING PHASE-1 PROJECT OF AREA
BASED DEVELOPMENT PROJECT OF BHOPAL SMART CITY DEVELOPMENT
CORPORATION LIMITED**

Sub: Committee constituted by Hon'ble National Green Tribunal for submission of factual report and ATR as per order dated 29/06/2020 in the matter of OA 32/2020.

Ref: Order dated 29/06/2020 in the matter of OA 32/2020 by Hon'ble National Green Tribunal(**Annexure-I**).

The Hon'ble National Green Tribunal vide order dated 29.06.2020 in the case titled as VijitPatni&Anr. Vs. State of Madhya Pradesh &Ors. (OA no. 32/2020) Constituted a Committee consisting of Bhopal Smart City Development Corporation; Municipal Corporation Bhopal and Madhya Pradesh Pollution Control Board and directed the said Committee to visit the project in question and submit a factual and action taken report based on the allegations levied in the said case.

In view of the above, for the purpose of constituting the said committee as per orders of the Hon'ble Tribunal, following officers were nominated by the concerned departments for visit:

1. Shri Harendra Narayan (IAS), Additional Commissioner, Bhopal Municipal Corporation, Bhopal.
2. Shri H. S. Malviya, Superintending Engineer, M.P. Pollution Control Board, Bhopal.
3. Shri Saurabh Saraf, Assistant Engineer, Bhopal Smart City Development Corporation Ltd., (BSCDCL)Bhopal.

The committee visited the site on 18/07/2020. Before visit to the site the committee discussed the details of the order and drawn out the terms of reference for visit considering the point no. 1. of the said order ***“The issue raised in this application is construction work of high rise building by the “Bhopal Smart City” Development Corporation in the T.T. Nagar area of Bhopal and covering most of the area of Nallah situated in the area, which was only source of discharging the natural water and thus, creating blockage of the natural flow of the water.”***


(Saurabh Saraf)
Assistant Engineer,
Bhopal Smart City
Development Corporation Ltd.

(H. S. Malviya)
Superintending Engineer,
M.P. Pollution Control Board,
Bhopal

(Harendra Narayan (IAS))
Additional Commissioner
Bhopal Municipal Corporation

The committee discussed the matter with Bhopal Smart City representative Shri O.P. Bhardwaj, Chief Engineer and Shri Chandramani Mishra, Assistant Engineer (Civil) regarding components of the project and construction work of high rise building by the “Bhopal Smart City” Development Corporation Ltd., in the T.T. Nagar area of Bhopal.

As per the documents and information duly collected during the said inspection, I came to the light that Department of Urban Development & Housing, Government of Madhya Pradesh has allotted about 342 hectare for the BSCDCL by order No. F-10-08/2017/18-2 dt.23.05.2017 (Annexure-II).



The above allotted land with details of existing land use (as per Bhopal Development Plan - 2005) and proposed land use for development by BSCDCL are notified vide Notification No. F 3-79/2018/18-5 dt. 13.06.2018 published on 15.06.2018 in the Gazette of Madhya Pradesh (Annexure-III).

(Saurabh Saraf)
Assistant Engineer,
Bhopal Smart City
Development Corporation Ltd.

(H. S. Malviya)
Superintending Engineer,
M.P. Pollution Control Board,
Bhopal

(Harendra Narayan (IAS))
Additional Commissioner
Bhopal Municipal Corporation

Out of 342.0 Acres of land allotted to BSCDCL, about 2.5 hectare land (Part of Khasra 1421) to be developed as high rise residential complex for government employees and the approval for the same is given by Town and Country Planning (T&CP) vide letter dated 26/07/2018 (**Annexure-IV**). It is noted that the land use map provided with approval letter doesn't have any natural stream/nallah marked therein. The revenue map provided to the committee duly verified by Revenue Inspector also has no details of any natural nallah in the Khasra No. 1421(**Annexure-V**). The overall land given to the project by Urban Development and Housing Department, GoMP, vide notification dated 13/06/2018 describes the land use before and after diversion to project. The concerned khasra no 1421 is described therein and no nallah is mentioned in the said notification.

The Committee after discussion and verification of land documents and land use maps, visited the construction site and the alleged nallah in question. It is observed that the area allotted earlier was also used for commercial and residential purposes and therefore at present construction of high rise building is at an advanced stage under the Government Housing Phase-1 Project of Area Based Development Project of Bhopal Smart City Development Corporation Limited. The committee further observed that for drainage of the storm water and other seepage/leakages artificial drainage was used and presently most of the parts of this drain is covered by road culverts, hotels, commercial units etc and there is no "natural nallah" situated at the said Khasra in question. Photo graphs are attached at (**Annexure-VI**).

The BSCDCL has started construction for 06 blocks of multistoried buildings at this site and these structures are in various stages of construction and about Rs. 132.00 crores have been invested till the visit. Photographs of construction are attached at (**Annexure-VII**). Presently this storm water drain is diverted for drainage during construction phase and for complete drainage detailed network of open box type drainage has been proposed which will take care of the storm water from the area to nearby Bananga nallah. It is informed that the work towards this systematic drainage system has also been initiated.

(Saurabh Saraf)
Assistant Engineer,
Bhopal Smart City
Development Corporation Ltd.

(H. S. Malviya)
Superintending Engineer,
M.P. Pollution Control Board,
Bhopal

(Harendra Narayan (IAS))
Additional Commissioner
Bhopal Municipal Corporation

After visiting the site, it is found that there is no blockage of natural flow of water has been created due to construction of high rise building and there is a systematic drainage system in process.

For ensuring the compliance of various permissions and clearances, the committee further suggested following actions by concerned departments:

1. The BSCDCL to submit compliance of storm water drainage system of the govt housing phase-1 project to SEIAA/MoEFCC as per stipulation given in EC.
2. T&CP and SEIAA/MoEFCC to verify the compliance of conditions given in the respective permission/clearance.
3. The BSCDCL to obtain consent and authorization from the State Pollution Control Board.

Enclosures: As mentioned above.

(Saurabh Saraf)
Assistant Engineer,
Bhopal Smart City
Development Corporation Ltd.

(H. S. Malviya)
Superintending Engineer,
M.P. Pollution Control Board,
Bhopal

(Harendra Narayan (IAS))
Additional Commissioner
Bhopal Municipal Corporation

**JOINT VISIT REPORT OF GOVERNMENT HOUSING PHASE-1 PROJECT OF AREA
BASED DEVELOPMENT PROJECT OF BHOPAL SMART CITY DEVELOPMENT
CORPORATION LIMITED**

Sub: Committee constituted by Hon'ble National Green Tribunal for submission of factual report and ATR as per order dated 29/06/2020 in the matter of OA 32/2020.


Ref: Order dated 29/06/2020 in the matter of OA 32/2020 by Hon'ble National Green Tribunal(**Annexure-I**).

The Hon'ble National Green Tribunal vide order dated 29.06.2020 in the case titled as VijitPatni&Anr. Vs. State of Madhya Pradesh &Ors. (OA no. 32/2020) Constituted a Committee consisting of Bhopal Smart City Development Corporation; Municipal Corporation Bhopal and Madhya Pradesh Pollution Control Board and directed the said Committee to visit the project in question and submit a factual and action taken report based on the allegations levied in the said case.

In view of the above, for the purpose of constituting the said committee as per orders of the Hon'ble Tribunal, following officers were nominated by the concerned departments for visit:

1. Shri Harendra Narayan (IAS), Additional Commissioner, Bhopal Municipal Corporation, Bhopal.
2. Shri H. S. Malviya, Superintending Engineer, M.P. Pollution Control Board, Bhopal.
3. Shri Saurabh Saraf, Assistant Engineer, Bhopal Smart City Development Corporation Ltd., (BSCDCL)Bhopal.

The committee visited the site on 18/07/2020. Before visit to the site the committee discussed the details of the order and drawn out the terms of reference for visit considering the point no. 1. of the said order *"The issue raised in this application is construction work of high rise building by the "Bhopal Smart City" Development Corporation in the T.T. Nagar area of Bhopal and covering most of the area of Nallah situated in the area, which was only source of discharging the natural water and thus, creating blockage of the natural flow of the water."*



(Saurabh Saraf)
Assistant Engineer,
Bhopal Smart City
Development Corporation Ltd.


(H. S. Malviya)
Superintending Engineer,
M.P. Pollution Control Board,
Bhopal


(Harendra Narayan (IAS))
Additional Commissioner
Bhopal Municipal Corporation

The committee discussed the matter with Bhopal Smart City representative Shri O.P. Bhardwaj, Chief Engineer and Shri Chandramani Mishra, Assistant Engineer (Civil) regarding components of the project and construction work of high rise building by the “Bhopal Smart City” Development Corporation Ltd., in the T.T. Nagar area of Bhopal.


As per the documents and information duly collected during the said inspection, I came to the light that Department of Urban Development & Housing, Government of Madhya Pradesh has allotted about 342 hectare for the BSCDCL by order No. F-10-08/2017/18-2 dt.23.05.2017 (Annexure-II).



The above allotted land with details of existing land use (as per Bhopal Development Plan - 2005) and proposed land use for development by BSCDCL are notified vide Notification No. F 3-79/2018/18-5 dt. 13.06.2018 published on 15.06.2018 in the Gazette of Madhya Pradesh (Annexure-III).


 (Saurabh Saraf)
 Assistant Engineer,
 Bhopal Smart City
 Development Corporation Ltd.


 (H. S. Malviya)
 Superintending Engineer,
 M.P. Pollution Control Board,
 Bhopal



 (Harendra Narayan (IAS))
 Additional Commissioner
 Bhopal Municipal Corporation


Out of 342.0 Acres of land allotted to BSCDCL, about 2.5 hectare land (Part of Khasra 1421) to be developed as high rise residential complex for government employees and the approval for the same is given by Town and Country Planning (T&CP) vide letter dated 26/07/2018 (**Annexure-IV**). It is noted that the land use map provided with approval letter doesn't have any natural stream/nallah marked therein. The revenue map provided to the committee duly verified by Revenue Inspector also has no details of any natural nallah in the Khasra No. 1421(**Annexure-V**). The overall land given to the project by Urban Development and Housing Department, GoMP, vide notification dated 13/06/2018 describes the land use before and after diversion to project. The concerned khasra no 1421 is described therein and no nallah is mentioned in the said notification.

The Committee after discussion and verification of land documents and land use maps, visited the construction site and the alleged nallah in question. It is observed that the area allotted earlier was also used for commercial and residential purposes and therefore at present construction of high rise building is at an advanced stage under the Government Housing Phase-I Project of Area Based Development Project of Bhopal Smart City Development Corporation Limited. The committee further observed that for drainage of the storm water and other seepage/leakages artificial drainage was used and presently most of the parts of this drain is covered by road culverts, hotels, commercial units etc and there is no "natural nallah" situated at the said Khasra in question. Photo graphs are attached at (**Annexure-VI**).

The BSCDCL has started construction for 06 blocks of multistoried buildings at this site and these structures are in various stages of construction and about Rs. 132.00 crores have been invested till the visit. Photographs of construction are attached at (**Annexure-VII**). Presently this storm water drain is diverted for drainage during construction phase and for complete drainage detailed network of open box type drainage has been proposed which will take care of the storm water from the area to nearby Bananga nallah. It is informed that the work towards this systematic drainage system has also been initiated.


(Saurabh Saraf)
Assistant Engineer,
Bhopal Smart City
Development Corporation Ltd.


(H. S. Malviya)
Superintending Engineer,
M.P. Pollution Control Board,
Bhopal



(Harendra Narayan (IAS))
Additional Commissioner
Bhopal Municipal Corporation

After visiting the site, it is found that there is no blockage of natural flow of water has been created due to construction of high rise building and there is a systematic drainage system in process.


For ensuring the compliance of various permissions and clearances, the committee further suggested following actions by concerned departments:

1. The BSCDCL to submit compliance of storm water drainage system of the govt housing phase-1 project to SEIAA/MoEFCC as per stipulation given in EC.
2. T&CP and SEIAA/MoEFCC to verify the compliance of conditions given in the respective permission/clearance.
3. The BSCDCL to obtain consent and authorization from the State Pollution Control Board.

Enclosures: As mentioned above.


(Saurabh Saraf)
Assistant Engineer,
Bhopal Smart City
Development Corporation Ltd.


(H. S. Malviya)
Superintending Engineer,
M.P. Pollution Control Board,
Bhopal


(Harendra Narayan (IAS))
Additional Commissioner
Bhopal Municipal Corporation

Item No. 05(Through VC-Bhopal)

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 32/2020(CZ)

Vijay Patni & Anr. Applicant(s)
Versus
State of Madhya Pradesh & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 29.06.2020

CORAM:

**HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGINA NANDA, EXPERT MEMBER**

For Applicant(s) Mr. Sambhav Sogani, Advocate

ORDER

1. The issue raised in this application is construction work of high rise building by the "Bhopal Smart City" Development Corporation in the T.T. Nagar area of Bhopal and covering most of the area of Nallah situated in the area, which was only source of discharging the natural water and thus, creating blockage of the natural flow of the water.
2. By way of filing this application, the applicant has prayed for following relief:-

"

1. That, Respondent No. 2 shall be directed to stop the further construction of the said high rise building above the said nala and to restore the said area in its original form.
2. That the hon'ble Tribunal shall take action against the violation of Environmental clearance made by the respondent no. 2 and quash the Environmental Clearance granted to the Respondent No. 2.
3. That the Respondent No. 2 shall be made liable for depicting wrong image of the green belt areas and shall be directed to identify new place for green belt and should develop the same in accordance to law

and Respondent no. 2 shall be restrained from performing works in furtherance of the wrong and incorrect map of the project area."

3. We deem it just and proper to constitute a Committee consisting of:-

- (i) Bhopal Smart City Development Corporation;
- (ii) Municipal Corporation Bhopal;
- (iii) Madhya Pradesh Pollution Control Board and to

direct them to visit the place and submit a factual and action taken report within four weeks.

4. The copy of the application and relevant records be provided to the Committee by the applicant within a week by both ways, Dasti and available email.

5. The Committee is directed to submit a Joint Report within four weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on 27.08.2020

Justice Sheo Kumar Singh, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय भोपाल
//आदेश//

F10-8/2017/18-2

भोपाल, दिनांक 23/05/17

राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-10-08/2017/18-2 दिनांक 09/05/2017 द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अंतरित नार्थ एवं साउथ टी.टी. नगर की 342 एकड़ भूमि एवं खसरा विवरण उक्त आदेश के साथ संलग्न परिशिष्ट अ अनुसार भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भोपाल नगर की स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत क्षेत्र आधारित विकास के लिए हस्तांतरित की जाती है।

2/ भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड उक्त क्षेत्र की पूर्व में प्रस्तावित पुर्नघनत्वीकरण परियोजना अंतर्गत शासकीय आवास/भवन का निर्माण स्वयं की त्रिधि से कराया जाकर संबंधित विभाग को उपलब्ध करायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजीव शर्मा)
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल, दिनांक 23/05/2017

पृ. क्रमांक एफ-10-08/2017/18-2
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, (समन्वय), मंत्रालय, भोपाल की ओर मंत्रि-परिषद आदेश दिनांक 11.04.17 के आयटम क्रमांक 18 के संदर्भ में।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण/राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त, (राजस्व) भोपाल संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. कलेक्टर जिला-भोपाल, मध्यप्रदेश।
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल, मध्यप्रदेश।
8. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल संभाग भोपाल, मध्यप्रदेश।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पो, लि, भोपाल।
10. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत आने वाली भूमियों के विवरण

ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्रफल	ABD के अंतर्गत खसरे (हेक्टर)	ABD में शामिल खसरे के हिस्से (हेक्टर)	विवरण
कोटरा सुल्तानाबाद	34	8.474	-	3.538	बारह दफ्तर के पास
	35	0.049	-	0.037	मुख्य सड़क, गोमंतिका परिसर
	36	0.652	0.640	-	मुख्य सड़क, गोमंतिका परिसर
	37	0.680	-	0.380	सरस्वती नगर के सामने सड़क
	109	2.541	2.541	-	सरस्वती नगर के सामने सड़क
	110	1.537	-	0.162	सरस्वती नगर के सामने सड़क
	112	0.862	-	0.146	साउथ टी.टी. नगर एफ टाईप एरिया
	113	4.047	-	1.576	साउथ टी.टी. नगर एफ व एच टाईप एरिया
	114	2.950	2.650	-	जवाहर चौक से माता मंदिर जाने वाले रोड़ पर एफ व जी टाईप
	108	6.070	-	0.060	सरस्वती नगर के पास EWC रोड़
	115	6.070	-	3.506	साउथ टी.टी. नगर के जी टाईप क्वॉटर्स सुनहरी बाग
	102	3.832	-	0.023	लघु वेतन कर्मचारी संघ कार्यालय
	101	4.047	-	1.895	सुनहरी बाग के पास पब्लिक स्कूल
	119	2.023	-	1.463	सुनहरी बाग एवं एच, आई टाईप क्वॉटर्स
	120	3.016	-	2.048	सुनहरी बाग एवं एच, आई टाईप क्वॉटर्स
	126	1.927	-	1.069	ट्रांसिट क्वॉटर्स एवं फर्नीचर की दुकान
	127	1.019	-	0.299	माता मंदिर के पास की गुनटी एवं माता मंदिर
	128	2.946	2.846	-	माता मंदिर एच टाईप प्लेटिनम प्लाजा
	129	0.182	-	0.096	माता मंदिर, न्यू मार्केट रोड़
	130	3.569	-	3.018	माता मंदिर के सामने के 3 मंजिला शासकीय आवास
	133	4.029	-	1.499	माता मंदिर के सामने के 3 मंजिला शासकीय आवास एवं नगर निगम वर्कशाप
	121	0.101	0.101	-	प्लेटिनम प्लाजा के पिछे जी व एच टाईप आवास
	122	0.393	0.393	-	प्लेटिनम प्लाजा के पिछे जी व एच टाईप आवास
	123	0.166	0.166	-	प्लेटिनम प्लाजा के पिछे जी व एच टाईप आवास
	124	0.648	0.648	-	प्लेटिनम प्लाजा के पिछे जी व एच टाईप आवास
	118	1.445	1.345	-	जी व एच टाईप शासकीय आवास

	116	0.647	0.647	-	8 दुकान के पास के जी टाईप व एच टाईप क्वार्टर्स
	117	2.023	1.823	-	8 दुकान के पास के जी टाईप व एच टाईप क्वार्टर्स
	125	0.837	0.837	-	माता मंदिर के पीछे जी व एच टाईप आवास
	134	0.624	0.044	-	माता मंदिर नगर निगम वर्कशॉप
भोपाल शहर	1416	29.000	-	19.502	गोमति का परिसर के सामने की सड़क
	1421	32.099	7.505	-	सम्पूर्ण 45 बंगले, बेतवा अपार्टमेंट
	1417	0.470	0.470	-	रोशनपुरा चौराहा से डिपो चौराहा जाने वाला मार्ग
	1420	0.599	-	0.599	रोशनपुरा चौराहा से डिपो चौराहा जाने वाला मार्ग
	1444	1.764	1.764	-	-
	1418	7.960	-	4.359	जवाहर चौक साउथ टी.टी. नगर, वॉटर वर्कशॉप एवं आवास
	1419	38.686	31.285	-	साउथ टी.टी. नगर, रंगमहल, SBI पोस्ट ऑफिस
	1455	0.785	-	0.648	साउथ टी.टी. नगर के मकानों में दबा रास्ता
	1456	10.327	-	8.774	साउथ टी.टी. नगर के रोड के किनारे के जी टाईप आवास
	1457	0.782	-	0.657	माता मंदिर से रोशनपुरा जाने वाला रोड
	1408	3.350	3.350	-	साउथ टी.टी. नगर के मुख्य मार्ग के जी टाईप आवास
	1407	0.243	0.243	-	माता मंदिर से रोशनपुरा जाने वाला रोड
	1458	12.131	8.131	-	न्यू मार्केट से माता मंदिर जाने वाली सड़क
	1488	22.942	-	7.536	गोमन इंडिया के लगे साउथ टी.टी. नगर के जी, एच एवं आई टाईप आवास
	1491	4.193	-	1.783	साउथ टी.टी. नगर के जी टाईप आवास एवं गड़डे वाली दुकाने
	1492	0.433	0.195	-	नाला
	1494	10.530	6.106	-	प्लेटिनम प्लाजा के सामने के जी टाईप आवास
	कुल	243.700	73.729	64.674	

खसरा	हेक्टर	एकड़
ABD के अंतर्गत कुल खसरे	73.729	182.19
ABD में शामिल कुल खसरो के हिस्से	64.674	159.81
योग	138.403	342.00


 Chief Executive Officer
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 Bhopal Smart City Dev. Corp. Ltd.
 भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जून 2018—ज्येष्ठ 25, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2018

क्र. ई-1-129-2018-5-एक.—श्री संजय कुमार, भाप्रसे (2011), राज्य शिष्टाचार अधिकारी तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएं नगरीय विकास एवं आवास विभाग को सौंपते हुए उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी परियोजना, भोपाल पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री संजय कुमार द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी परियोजना, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने

की दिनांक से, राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली 2016 के नियमों के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी परियोजना, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई-5-645-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनीष रस्तोगी, आयएएस., प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश तथा संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल तथा प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 11 से 15 जून 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 एवं दिनांक 16, 17 जून 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राज्य शासन के आदेश
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जून 2018

//सूचना//

क्रमांक एफ 3-79/2018/18-5 :- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1681/टी.सी./02/नग्रानि/2017 भोपाल दिनांक 27.03.2018 द्वारा प्रकाशित भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार एवं संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त धारा की उपधारा (2) प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है :-

अनुसूची

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	विकास योजना 2005 में निर्दिष्ट उपयोग	अधिनियम की धारा 23-क(1)क के अंतर्गत उपांतरित किये जाने वाले भूमि का उपयोग	अधिकतम एफ.ए. आर		अधिकतम फुर्सी क्षेत्र (%)		भवनों की अधिकतम उचाई (मीटर)	
						विकास योजना 2005 में प्रस्तावित	ए.बी.डी. में प्रस्तावित	विकास योजना 2005 में प्रस्तावित	ए.बी.डी. में प्रस्तावित	विकास योजना 2005 में प्रस्तावित	ए.बी.डी. में प्रस्तावित
1	कोटरा सुल्तानाबाद	34	1026.122	आवासीय	30 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--
2	कोटरा सुल्तानाबाद	34	365.847	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45

3	कोटरा सुल्तानाबाद	34	111.606	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधायें	1	1	25	40	18	45
4	कोटरा सुल्तानाबाद	34	1418.899	मार्ग	अनोद प्रमोद 30 m चौड़ा मार्ग	--	0.05	--	5	--	--
5	कोटरा सुल्तानाबाद	35	98.077	आवासीय	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
6	कोटरा सुल्तानाबाद	35	207.702	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
7	कोटरा सुल्तानाबाद	36	1150.613	आवासीय	12/30/45 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--
8	कोटरा सुल्तानाबाद	36	2642.554	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	75
9	कोटरा सुल्तानाबाद	36	713.272	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
10	कोटरा सुल्तानाबाद	112	445.606	आवासीय	18 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--
11	कोटरा सुल्तानाबाद	112	1034.84	आवासीय	सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधायें	1.25	1	30	40	18	45
12	कोटरा सुल्तानाबाद	112	297.583	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	2.5	30	50	18	75
13	कोटरा सुल्तानाबाद	113	4259.016	आवासीय	18 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--
14	कोटरा सुल्तानाबाद	113	4964.764	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	1.25	2	30	40	18	30
15	कोटरा सुल्तानाबाद	113	2696.991	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	2.5	30	50	18	75

16	कोटरा सुल्तानाबाद	113	8786.307	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	30
17	कोटरा सुल्तानाबाद	114	6754.333	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	75
18	कोटरा सुल्तानाबाद	114	8399.568	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	2.5	30	40	18	30
19	कोटरा सुल्तानाबाद	114	5377.3	अमोद प्रमोद	आवासीय	1.25	0.05	30	5	18	--
20	कोटरा सुल्तानाबाद	114	7287.526	45/24 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
21	कोटरा सुल्तानाबाद	108	692.68	18 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
22	कोटरा सुल्तानाबाद	115	7585.751	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	30
23	कोटरा सुल्तानाबाद	115	33378.501	अमोद प्रमोद	आवासीय	1.25	0.05	30	5	18	--
24	कोटरा सुल्तानाबाद	115	9688.238	24/18 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
25	कोटरा सुल्तानाबाद	115	4685.751	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	आवासीय	1.25	2	30	40	18	30
26	कोटरा सुल्तानाबाद	115	2121.279	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
27	कोटरा सुल्तानाबाद	101	3072.902	अमोद प्रमोद	आवासीय	1.25	0.05	30	5	18	--

28	कोटरा सुल्तानाबाद	101	8564.001	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
29	कोटरा सुल्तानाबाद	119	1210.224	24 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
30	कोटरा सुल्तानाबाद	119	8533.982	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
31	कोटरा सुल्तानाबाद	120	2391.882	24 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
32	कोटरा सुल्तानाबाद	120	8040.791	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
33	कोटरा सुल्तानाबाद	126	2164.621	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
34	कोटरा सुल्तानाबाद	126	965.663	30 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
35	कोटरा सुल्तानाबाद	128	9362.988	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	75
36	कोटरा सुल्तानाबाद	128	2228.284	24/12 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
37	कोटरा सुल्तानाबाद	128	5583.151	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
38	कोटरा सुल्तानाबाद	128	1459.393	18 m चौड़ा मार्ग	वाणिज्यिक	1.75	--	30	--	18	--
39	कोटरा सुल्तानाबाद	128	5905.339	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक	1.75	2.5	30	50	18	75

40	कोटरा सुल्तानाबाद	128	3974.926	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक	1.75	3	30	50	18	75
41	कोटरा सुल्तानाबाद	130	308.317	आवासीय	वाणिज्यिक	1.75	2.5	30	50	18	75
42	कोटरा सुल्तानाबाद	130	4313.128	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक	1.75	2.5	30	50	18	75
43	कोटरा सुल्तानाबाद	133	1609.822	आवासीय	सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधायें	1.25	2	30	40	18	45
44	कोटरा सुल्तानाबाद	133	5318.698	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	2.5	30	50	18	75
45	कोटरा सुल्तानाबाद	133	3359.473	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	1.25	2	30	40	18	45
46	कोटरा सुल्तानाबाद	121	479.403	आवासीय	24 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--
47	कोटरा सुल्तानाबाद	121	530.597	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	40	18	45
48	कोटरा सुल्तानाबाद	122	2416.839	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	2.5	30	40	18	75
49	कोटरा सुल्तानाबाद	122	1513.16	आवासीय	30 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--
50	कोटरा सुल्तानाबाद	123	774.63	आवासीय	30/24 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--

51	कोटरा सुल्तानाबाद	123	885.369	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
52	कोटरा सुल्तानाबाद	124	1782.309	30/24 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
53	कोटरा सुल्तानाबाद	124	4697.691	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	75
54	कोटरा सुल्तानाबाद	118	2650.88	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	75
55	कोटरा सुल्तानाबाद	118	1550.629	45 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
56	कोटरा सुल्तानाबाद	118	10248.492	आवासीय	आवासीय	1.25	2	30	50	18	30
57	कोटरा सुल्तानाबाद	116	837.24	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	3	30	50	18	75
58	कोटरा सुल्तानाबाद	116	911.9	अमोद प्रमोद	आवासीय	1.25	0.05	30	5	18	--
59	कोटरा सुल्तानाबाद	116	4720.859	45 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
60	कोटरा सुल्तानाबाद	117	3171.879	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	30
61	कोटरा सुल्तानाबाद	117	7115.192	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	75
62	कोटरा सुल्तानाबाद	117	1620.788	अमोद प्रमोद	आवासीय	1.25	0.05	30	5	18	--

63	कोटरा सुल्तानाबाद	117	2363.1978	आवासीय	45/24 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--
64	कोटरा सुल्तानाबाद	117	5958.942	आवासीय	आवासीय	1.25	2	30	50	18	30
65	कोटरा सुल्तानाबाद	125	3758.874	आवासीय	30/24 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--
66	कोटरा सुल्तानाबाद	125	4611.125	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
67	भोपाल शहर	1416	37879.822	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
68	भोपाल शहर	1416	32530.465	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	3	30	50	18	75
69	भोपाल शहर	1416	11269.62	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	2.5	30	50	18	24
70	भोपाल शहर	1416	13817.068	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	1.25	2.5	30	40	18	45
71	भोपाल शहर	1416	18388.249	आवासीय	अमोद प्रमोद	1.25	0.05	30	5	18	--
72	भोपाल शहर	1416	59389.078	आवासीय	45/30/18/12 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--
73	भोपाल शहर	1416	5630.762	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	आवासीय	1	2.5	25	50	18	45
74	भोपाल शहर	1416	12124.689	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	सार्वजनिक एवं सेवाएँ एवं सुविधायें	1	1	25	40	18	30
75	भोपाल शहर	1416	451.437	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	अमोद प्रमोद	1	0.05	25	10	18	--
76	भोपाल शहर	1416	994.147	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	30 m चौड़ा मार्ग	1	--	25	--	18	--

77	भोपाल शहर	1416	753.907	अमोद प्रमोद 30 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	--	2.5	--	50	--	45
78	भोपाल शहर	1416	7648.633	30 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	--	2.5	--	50	--	45
79	भोपाल शहर	1416	398.699	30 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	--	2.5	--	50	--	75
80	भोपाल शहर	1416	4150.811	30 m चौड़ा मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	--	2.5	--	40	--	45
81	भोपाल शहर	1416	8157.921	30 m चौड़ा मार्ग	अमोद प्रमोद	--	0.05	--	5	--	--
82	भोपाल शहर	1416	4586.686	30 m चौड़ा मार्ग	वाणिज्यिक	--	3	--	50	--	75
83	भोपाल शहर	1416	4766.347	30 m चौड़ा मार्ग	वाणिज्यिक	--	2.5	--	50	--	75
84	भोपाल शहर	1416	111274.44 3	30 m चौड़ा मार्ग	45/30/18/12 m चौड़ा मार्ग	--	--	--	--	--	--
85	भोपाल शहर	1421	38648.457	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
86	भोपाल शहर	1421	2701.402	आवासीय	सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधायें	1.25	2	30	40	18	45
87	भोपाल शहर	1421	9960.149	आवासीय	अमोद प्रमोद	1.25	0.05	30	10	18	--
88	भोपाल शहर	1421	5639.467	आवासीय	30/12 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--
89	भोपाल शहर	1421	4673.931	अमोद प्रमोद	आवासीय	--	2.5	--	50	--	45
90	भोपाल शहर	1421	27013.45	अमोद प्रमोद	अमोद प्रमोद	--	0.05	--	10	--	--
91	भोपाल शहर	1421	391.28	अमोद प्रमोद	सार्वजनिक सेवाएँ एवं	--	2	--	40	--	45

105	भोपाल शहर	1419	19549.805	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	30
106	भोपाल शहर	1419	7621.973	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	75
107	भोपाल शहर	1419	40279.154	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	75
108	भोपाल शहर	1419	9841.041	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	3	30	50	18	75
109	भोपाल शहर	1419	12753.173	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
110	भोपाल शहर	1419	38845.196	अमोद प्रमोद	आवासीय	1.25	0.05	30	5	18	--
111	भोपाल शहर	1419	7633.172	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	आवासीय	1.25	2	30	40	18	45
112	भोपाल शहर	1419	577.505	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	आवासीय	1.25	2.5	30	40	18	45
113	भोपाल शहर	1419	56795.778	45/30/24/12 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--
114	भोपाल शहर	1419	4703.473	30 m चौड़ा मार्ग	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	1.25	--	25	--	18	--
115	भोपाल शहर	1419	18900.693	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	1	2	25	40	18	45
116	भोपाल शहर	1419	53646.335	अमोद प्रमोद	अमोद प्रमोद	--	0.05	--	5	--	--
117	भोपाल शहर	1455	804.153	वाणिज्यिक	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	75
118	भोपाल शहर	1455	1436.781	45/30/24 m चौड़ा मार्ग	आवासीय	1.25	--	30	--	18	--

119	भोपाल शहर	1455	3493.15	आवासीय	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	75
120	भोपाल शहर	1455	1437.541	आवासीय	आवासीय	सर्वजनिक एवं अर्ध-सर्वजनिक	1.25	2	30	40	18	45
121	भोपाल शहर	1455	2365.601	अमोद प्रमोद	अमोद प्रमोद	अमोद प्रमोद	--	0.05	--	5	--	--
122	भोपाल शहर	1456	10185.265	आवासीय	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	2.5	30	50	18	75
123	भोपाल शहर	1456	9414.76	आवासीय	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	3	30	50	18	75
124	भोपाल शहर	1456	8623.562	आवासीय	आवासीय	अमोद प्रमोद	1.25	0.05	30	5	18	--
125	भोपाल शहर	1456	12103.39	आवासीय	आवासीय	45/30/24 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--
126	भोपाल शहर	1456	18256.998	आवासीय	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	75
127	भोपाल शहर	1456	6793.337	आवासीय	आवासीय	सर्वजनिक एवं अर्ध-सर्वजनिक	1.25	2	30	40	18	30
128	भोपाल शहर	1456	4464.948	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक	अमोद प्रमोद	1.75	0.05	30	5	18	--
129	भोपाल शहर	1456	3214.21	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक	45/30 m चौड़ा मार्ग	1.75	--	30	--	18	--
130	भोपाल शहर	1456	6544.234	सर्वजनिक एवं अर्ध-सर्वजनिक	सर्वजनिक एवं अर्ध-सर्वजनिक	सर्वजनिक एवं अर्ध-सर्वजनिक	1	2.5	25	40	18	45
131	भोपाल शहर	1456	9665.802	अमोद प्रमोद	अमोद प्रमोद	वाणिज्यिक	--	2.5	--	50	--	75
132	भोपाल शहर	1456	2647.986	अमोद प्रमोद	अमोद प्रमोद	सर्वजनिक एवं अर्ध-सर्वजनिक	--	2.5	--	40	--	45

133	भोपाल शहर	1456	3644.76	अमोद प्रमोद	अमोद प्रमोद	--	0.05	--	5	--	--	--
134	भोपाल शहर	1488	5677.77	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	3	30	50	18	75	75
135	भोपाल शहर	1488	18179.872	आवासीय	अमोद प्रमोद	1.25	0.05	30	5	18	--	--
136	भोपाल शहर	1488	18837.89	आवासीय	30/18 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--	--
137	भोपाल शहर	1488	73897.398	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45	45
138	भोपाल शहर	1488	2056.086	वाणिज्यिक	अमोद प्रमोद	1.75	0.05	30	2	18	--	--
139	भोपाल शहर	1488	2849.959	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक	1.75	3	30	50	18	75	75
140	भोपाल शहर	1491	7497.079	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	3	30	50	18	75	75
141	भोपाल शहर	1491	1443.888	आवासीय	18 चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--	--
142	भोपाल शहर	1491	5114.354	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45	45
143	भोपाल शहर	1491	1358.844	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक	1.75	3	30	50	18	75	75
144	भोपाल शहर	1493	732.579	आवासीय	वाणिज्यिक	1.25	3	30	40	18	75	75
145	भोपाल शहर	1493	4797.534	आवासीय	अमोद प्रमोद	1.25	0.05	30	5	18	--	--
146	भोपाल शहर	1493	11641.769	आवासीय	45/18 m चौड़ा मार्ग	1.25	--	30	--	18	--	--
147	भोपाल शहर	1493	6009.15	आवासीय	सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधायें	1.25	1	30	40	18	45	45

148	भोपाल शहर	1493	4818.021	आवासीय	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक	1.25	2	30	40	18	45
149	भोपाल शहर	1493	14814.968	आवासीय	आवासीय	1.25	2.5	30	50	18	45
150	भोपाल शहर	1493	2526.663	वाणिज्यिक	अमोद प्रमोद	1.75	0.05	30	5	18	--
151	भोपाल शहर	1493	3609.923	वाणिज्यिक	45/18 m चौड़ा मार्ग	1.75	--	30	--	18	--
152	भोपाल शहर	1493	8225.573	वाणिज्यिक	वाणिज्यिक	1.75	3	30	40	18	75
Total		1359649.408									

शर्त :-

1. स्मार्ट सिटी के प्रस्तावित मार्गों को स्मार्ट सिटी के बाहर वर्तमान में स्थित मार्गों से समन्वय रखा जाना अनिवार्य होगा।
2. मेट्रो प्रोजेक्ट के साथ समन्वय कर स्मार्ट सिटी योजना तैयार की जायें, ताकि मेट्रो स्टेशन का उपयोग करने वाले यात्रियों हेतु समस्त सुविधाओं का प्रावधान स्टेशन के पास किया जा सके।

उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन, मध्य प्रदेश

कचनार ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-mail: bhopal@mptownplan.gov.in दूरभाष- 0755-2427091

क्रमांक 3-धारा-27 / बीपीएलएलपी / 4387 / जिका.भो. / 2017 भोपाल दिनांक / 2018
प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल स्मार्ट सिटी डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि०
भोपाल (म०प्र०)

विषय :- ग्राम भोपाल शहर खसरा क्रमांक 1421 मे से आवेदित भूमि 25642.89 वर्ग मीटर भूमि पर (आवासीय फ्लेट शासकीय कमचारीयो हेतु) के विकास हेतु स्थल अनुमोदन बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 898 / बीएससीडीसीएल / 2017 दिनांक 17.11.2017

उपरोक्त संदर्भित विषय मे उल्लेखित स्मार्ट सिटी योजना भोपाल (नार्थ एवं साउथ टी.टी.नगर) की कुल भूमि 342.0 एकड के सम्पूर्ण खसरो मे से ग्राम भोपाल शहर खसरा क्रमांक 1421 मे से आवेदित भूमि 25642.89 वर्ग मीटर भोपाल विकास योजना 2005 अनुसार भूमि उपयोग आवासीय निर्दिष्ट है, जिसे म.प्र राजपत्र दिनांक 15.06.2018 मे प्रकाशित म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-79 / 2018 / 18-5 भोपाल दिनांक 03.06.2018 राजपत्र दिनांक 15.06.2018 द्वारा आवासीय, आमोद प्रमोद एवं मार्ग से आवासीय एवं मार्ग मे उपांतरण किया गया है। भूमि पर (आवासीय फ्लेट शासकीय कमचारीयो हेतु) के विकास हेतु आवेदन के संबंध में मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 नियम 12(2)(क) के तहत उँचे भवन हेतु स्थल अनुमोदन समिति के समक्ष दिनांक 16.03.2018 को रखा गया बैठक का कार्यवाही विवरण दिनांक 07.04.2018, जिसमे 43.50 मीटर उँचे भवन हेतु सहमति प्रदान की गई। भोपाल विकास योजना, 2005 एवं राजपत्र दिनांक 25.1.2013 सारणी 4-सा-2 (ब), मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27(1) के प्रावधानो के तहत निम्नलिखित शर्तो के आधार पर सहमति प्रदान की जाती है :-

1. निम्नलिखित अधिनियम / नियम / सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति / अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा:-

1. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल।
2. जल संसाधन विभाग (बांध, नहर व नदियों से लगी भूमि से विकास हेतु)
3. राष्ट्रीय राजमार्ग / राजकीय राजमार्ग प्राधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग / राजकीय राजमार्ग से लगी भूमि के विकास की स्थिति में।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत या अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह विकास / निर्माण अनुमति से प्राप्त करें।

Validity unknown

Digitally signed by SHIV KANT MUDGAL

Date: 2018.07.26 17:27:10 IST

2. प्रस्तावित आवासीय फ्लेट कमचारीयो हेतु के मापदण्ड निम्नानुसार रहेंगे :-

1. भवन का भू-तल निर्मित क्षेत्र 30% अधिकतम मान्य होगा।

2. संलग्न मानचित्र में दर्शाए अनुसार एम. ओ. एस. रखे जावें। सामने से 15.0 मीटर (न्यूनतम), तथा शेष तीनों दिशाओं में 7.50 मीटर (न्यूनतम)।
 3. एफ. ए. आर. 1:2.50 (एक अनुपात दो दशमलव पांच शून्य) अधिकतम तथा भवन की अधिकतम ऊँचाई भोपाल विकास योजना 2005 प्रावधानानुसार 42.55 मीटर अधिकतम।
 4. पार्किंग हेतु व्यवस्था संलग्न मानचित्र अनुसार भोपाल विकास योजना 2005 की 4-सा-16 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप एक कार प्रति 100 वर्गमीटर निर्मित न्यूनतम 626 कार पार्किंग का प्रावधान करना आवश्यक होगा प्रस्तावित मानचित्र में दर्शाये अनुसार पार्किंग क्षेत्र में एक कार स्पेस प्रति 35 वर्गमीटर क्षेत्र अनुसार न्यूनतम 490 कार पार्किंग एवं दो तलीय स्टिल्ट पार्किंग में 136 कार पार्किंग सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। परिसर से जनित होने वाले पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही की जाना एवं करना अनिवार्य होगा।
 5. भूमि के उत्तर, दक्षिण, पूर्व दिशा स्थित विद्यमान भोपाल विकास योजना 2005 के प्रस्तावित 30.0 मीटर मार्ग जन सामान्य के आवागमन हेतु खुला रखना आवश्यक होगा उक्त मार्ग आवागमन हेतु बाधित नहीं करें।
भवन के निर्माण के पूर्व सभी संबंधित विभागों/संस्थाओं से विधि अनुरूप अनुमति/सहमति प्राप्त की जावे।
2. योजना में जल प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित हेतु विकास एवं निर्माण से पूर्व नगर निगम भोपाल से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
 3. संबंधित भवन में विद्युत आपूर्ति हेतु संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर विद्युत सब स्टेशन ट्रांसफार्मर तथा डी.जी.सेट हेतु भवन से सुरक्षित भूमि की दूरी का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
 4. योजना में ठोस अपशिष्ट प्रबंध की व्यवस्था आवेदक को स्वयं ही कराना होगी तथा ठोस अपशिष्ट ट्रेचिंग ग्राउण्ड तक परिवहन की व्यवस्था आवेदक को स्वयं के साधनों से करनी होगी। साथ ही योजना में एस.टी.पी. का उचित प्रावधान करना आवश्यक होगा।
 5. योजना में पीने के पानी के अतिरिक्त, बागवानी एवं अन्य प्रयोजन आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त जल प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। योजना में होटल की आवश्यकता तथा फायर फाइटिंग हेतु पृथक-पृथक स्टोरेज रखी जावे। भवन के एम.ओ.एस. में पार्किंग अथवा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य स्वीकार्य नहीं होगा। निरन्तर
 6. आटोमेटिक डिक्वैशन एवं अलार्म सिस्टम सिर्फ बेसमेन्ट में ही मान्य होगा।
 8. म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-23/2003/32 भोपाल दिनांक 14 अक्टूबर 2005 में उल्लेखित अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एसओ 801(ई) दिनांक 7 जुलाई 2004 के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट के तहत संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक इन्वायरमेंट

इम्पेक्टस असेसमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से इस प्रकार का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे निर्माण के पूर्व ई.आई.ए. क्लीयरेंस लेना अनिवार्य होगा।

भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की अनुसूची की कण्डिका 8 (क) के अनुसार 20,000 वर्गमीटर या अधिक किन्तु 1,50,000 वर्गमीटर से कम भवन एवं संनिर्माण परियोजना में तथा 8 (ख) के अनुसार 50 हेक्टर क्षेत्र या उससे अधिक और/या 1,50,000 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के नगरी और क्षेत्र विकास में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति ली जाना अनिवार्य है।

9. स्ट्रक्चरल सेफ्टी **IS: 875 (Part 1 To 5)1987** एवं फायर फाइटिंग (**IS: 15015-NBC 2016**) की व्यवस्था की जाये तथा संबंधित विशेषज्ञ जो संबंधित संस्थाओं में पंजीकृत हो। स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं फायर फाइटिंग सेफ्टी का प्रमाण पत्र, नगर पालिक निगम भोपाल को उपलब्ध कराया जावे।
10. प्रश्नाधीन स्थल पर भवन अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के पूर्व राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता भाग-4 के प्रावधान अनुसार अग्निशमन संबंधी समस्त प्रस्तावित प्रावधान दर्शाते हुये अग्निशमन प्राधिकारी से अनापत्ति प्राप्त की जावे। भवन निर्माण पूर्ण होने पर राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता भाग-4 अग्निशमन संबंधी किये गये प्रावधानों का निरीक्षण फायर अधिकारी से करवाया जाना अनिवार्य होगा एवं सभी अग्निशमन के प्रावधान पूर्ण कर लिये गये हैं। इस आशय का प्रमाण पत्र अग्निशमन प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही होटल निर्माण का कार्य किया जावे।
11. स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा भवन के भूकंप स्ट्रक्चरल डिजाईन भूकम्प अवरोधी है। इस बाबत संबंधित विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण कर भूकंप सेफ्टी तकनीक (P 1893.198) का प्रयोजन किया जाना अनिवार्य होगा।
12. समस्त अतिरिक्त मार्गों एवं विकास योजना के मार्गों के साथ विभिन्न अधोसंरचना जल प्रदाय सीवर लाईन, संचार/केवल/इंटरनेट/विद्युत केवल इत्यादि के लिये आवश्यकतानुसार सर्विस डक्ट का प्रावधान किया जावे।
13. परिसर की सुरक्षा हेतु सी.सी.टी.बी. सहित इलेक्ट्रानिक सर्विलांस संबंधी प्रावधान रखे जावे।
14. योजना में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का उपयोग करना होगा तथा दूषित जल को पुनर्चक्रीकरण कर उपयोग में लाने की प्रक्रिया स्थापित करनी अनिवार्य होगी।
15. निर्मित भवन में सीमान्त खुला क्षेत्र के अंतर्गत पार्किंग हेतु रेम्प निर्माण मान्य नहीं होगा
16. भूमि के अंदर समाविष्ट पेडो को यथासंभव यथावत रखना आवश्यक होगा, यदि हटाना हो तो सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही हटाया जावे।
17. योजना में आने वाले विद्युत के लोड के लिये अनुमति मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से लेना आवश्यक होगी तथा चारों ओर स्थित एम. ओ. एस में ट्रांसफार्मर को स्थापित नहीं किया जा सकेगा। विद्युत भार के अनुरूप सब स्टेशन की स्थापना सुरक्षित रखना होगा।




18. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 (3) क अनुरूप नेशनल बिल्डिंग कोड भाग-4 में दी गई अनुशंसा के अनुरूप अग्निशमन व्यवस्था कर अग्नि प्राधिकारी से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अग्निशमन संबंधी उपायों की नियमानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के उपरांत ही दखलकारी अनुज्ञा पत्र जारी किया जावे।
19. भवन और उसके चारों ओर के खुले स्थानों को जाने वाला मार्ग पहुँच मार्ग 6.0 मीटर चौड़ा होगा और उसका अभिन्यास सरकार द्वारा अनुमोदित किये अनुसार शहर के अग्निशमन प्राधिकारी के परामर्श से प्रस्तावित किया जायेगा और उसकी सतह आवश्यकतानुरूप सख्त होगी जो 18 टन के दमकल (फायर इंजिन) का भार सहन करने योग्य हो उक्त खुली जगह बाधाओं से मुक्त रखी जायगी और मोटर के आने जाने योग्य होना आवश्यक होगी।
20. आपके द्वारा प्रस्तुत अक्स/बटान में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी ही होगी।
12. प्रस्तावित अभिन्यास के आस पास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जायें।
13. इस विकास प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का विभाजन मान्य नहीं होगा।
14. मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के प्रावधानों के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के मान से अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा स्थल पर उपरोक्त मान के अनुसार वृक्षारोपण कर लिया हो यह सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही भवन अनुज्ञा नगर पालिका/स्थानीय संस्था द्वारा दी जावें।
15. इस अभिमत को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावें। किसी भी प्रकार के भूमि विवाद होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
16. इस कार्यालय एवं राजस्व विभाग द्वारा किये गये स्थल पर सीमांकन (बाहरी सीमाओं) दिनांक-15.06.2018 में प्रस्तुत खसरा मानचित्र में दर्शित माप एवं स्थिति के आधार पर ही मान्य होगा।
17. इस अनुज्ञा को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावें।
18. अनुमोदित मानचित्र की सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना अनिवार्य होगा।
19. संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीबाल से अवरूद्ध न किया जावें। इसे मान्य नहीं किया जावेगा।
20. स्थल पर अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 1.50 X 1.25 मीटर साईज के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा। व इसे स्थल पर ऐसे स्थान पर प्रदर्शित किया जावे जो कि आमजन सुगमता से पढ़ सकें।
21. किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट, परिसर के आसपास भूमि पर फेंकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा तथा उसका निराकरण की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करनी होगी। अतः किसी भी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण होने पर यह अनुज्ञा स्वमेव निरस्त मान्य होगी।

22. प्रश्नाधीन भूमि पर संबंधित स्थानीय संस्था से प्राप्त की जाने वाली भवन अनुज्ञा के प्रति 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।
23. मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन परिवहन भण्डारण का निवारण) नियम 2006 में हुए संशोधन के नियम का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
24. निर्माणकर्ता को यह बाध्यता होगी कि वह समुचित पेयजल व्यवस्था, जल मल निकासी, पार्किंग स्थलों का विकास, हरित क्षेत्रों का विकास एवं वृक्षारोपण इत्यादि विकास कार्यों को सम्पूर्ण करने के पश्चात ही भवन का उपयोग प्रारंभ करें।
25. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81(4) के प्रावधानों के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग/रूफ वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनायी होगी। उसके पश्चात ही भूखण्ड पर विद्युत कनेक्शन संबंधित संस्थाओं के द्वारा दिया जा सकेगा।
26. मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग के द्वारा उनके परिपत्र क्रमांक-एफ-12/39/09/बी-1/दो भोपाल दिनांक 30.11.2009 द्वारा जारी निर्देशों के परिपेक्ष्य में भवनों आदि के लिये अग्नि सुरक्षा निर्देश (फायर आर्डर) में उल्लेखित समस्त निर्देशों एवं निश्चित/आवश्यक उपयोग का कड़ाई से पालन करना आवश्यक होगा एवं फायर एक्सटींग्यूशन परिपत्र में उल्लेखित मानक अनुसार यथा स्थानों पर स्थापित करवाये जावे तथा अग्नि/दुर्घटना स्थल से बच निकलने की ड्रिल तीन माह में एक बार करवाई जानी चाहिये।
27. आवेदित स्थल पर एक्स्ट्रा हाईटेंशन/इलेक्ट्रिक लाईन (टावर लाईन) से मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियमानुसार निर्धारित दूरी तक खुला क्षेत्र रखना होगा। उसके नीचे किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।
28. विभिन्न नागरिक सुविधाओ (सर्विसेस) हेतु मानचित्र में जो जगह प्रस्तावित की गई है। उनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ओव्हर हेड टैंक, गारवेज डिस्पोजल एवं परिसर का कचरा इकट्ठा कर उसका निष्पादन किया जावे।
29. सीवेज/ठोस अवशिष्ट को ट्रीटमेंट हेतु निर्धारित क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा। तत्पश्चात उसको उपचारात्मक तरीके से बगीचे इत्यादि में उपयोग किया जावे। बगैर शोधित किये सीवेज का निकास पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
30. आवेदक संस्था द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार प्रश्नाधीन अभिमत के आधार पर परियोजना का नाम "शासकीय आवास" रहेगा एवं बगैर लिखित स्वीकृति के इनके कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
31. तालाब की ओर जाने वाले प्राकृतिक नाले नैसर्गिक जल बहाव/प्रवाह को विकास/निर्माण कार्य या अन्य किसी भी प्रकार से अवरुद्ध/गतिरोधित नहीं किया जायेगा वह बाधारहित रखना अनिवार्य होगा।
32. नाले के किनारे से 9.0 मीटर का हरित क्षेत्र खुला रखना अनिवार्य होगा।
33. उपरोक्त किसी भी शर्त को उलंघन करने पर यह अभिमत मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत रिवोक कर दी जावेगी।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन म.प्र.

1. रजिस्ट्रार, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन (बेंच) भोपाल की ओर प्रकरण क्रमांक-21/2014 में दिनांक 17.12.15 को जारी आदेश के पालन में कृपया सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेब साईट www.emptownplan.gov.in से डाउन लोड किया जा सकता है।
2. अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र.शासन, पालिका भवन, शिवाजी नगर भोपाल को सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. आयुक्त, नगर पालिका निगम, भोपाल की ओर इस अनुज्ञा की शर्तों तथा संबंधित नियम के प्रावधानों का पालन एवं भूमि स्वामित्व सुनिश्चित करने उपरांत प्रश्नाधीन भूमि अनुमति जारी कर भवन अनुज्ञा की प्रति इस कार्यालय को अभिलेख करने का कष्ट करें। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. उपमहाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल को सूचनार्थ। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार, तहसील हुजूर (संबंधित वृत्त), जिला भोपाल की ओर इस लेख के साथ प्रेषित है कि इस अनुज्ञा को संबंधित राजस्व निरीक्षक/पटवारी के खसरा रिकार्ड के कॉलम 12 में "नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा इस खसरे का ले-आउट स्वीकृत हो गया है:: की टीप अंकित किये जाने बावत् नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
6. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक, भोपाल की ओर कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
7. खनिज अधिकारी, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
8. सर्वेकक्ष, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन म.प्र.



LOCATION MAP - ABD Project Area

Khasra Aks Map (Scale 1:4000)

Signature of Town Planner
V. P. Kulshrestha
 Chief Planner
 Bhopal Smart City
 Development Corporation Ltd.
 Registration No - 1984-061

Signature of Owner
[Signature]
 Chief Executive Officer
 Bhopal Smart City Dev. Corp. Ltd.

Proposed Layout Plan for Developing F & G Type Govt. Housing (under ABD - Smart City Bhopal) by Department of Urban Development & Housing on part of Khasra No. 1421 - Sheher Bhopal (34.09 Ha.)

Project Name - Govt. QTY.

STATEMENT of AREA

TOTAL PLOT AREA	= 25,642.89 sqm (2.56 Ha)
MAX. PERMISSIBLE GROUND COVERAGE	= 30 % (7692.87 sq. m.)
MAX PERMISSIBLE FAR	= 1:2.5
PROPOSED OPEN SERVICES AREA	= 19% (4936.24 sq. m.)
MAXIMUM PERMISSIBLE HEIGHT	= 42.55 M +2 Floor Parking
MARGINAL OPEN AREA	
FRONT - 15.0 M	ALL SIDE - 7.5 M

PARKING STATEMENT

(1 ECS PER 100 SQ.M. OF B/UP AREA)

Required car parking:

TOTAL BUILT UP AREA	= 62,583.12 ÷ 100
TOTAL REQUIRED PARKING	= 626 ECS
Provision	
NO. OF FLOORS FOR PARKING	= 2
BASEMENT PARKING - 490	STILT PARKING - 136
@ 35 M ² per car	@ 30 M ² per car
17150 ÷ 35 = 490 cars	4080 ÷ 30 = 136 cars.

यह मानचित्र भूमि-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है।

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

9. ...

10. ...

11. ...

12. ...

13. ...

14. ...

15. ...

16. ...

17. ...

18. ...

19. ...

20. ...

21. ...

22. ...

23. ...

24. ...

25. ...

26. ...

27. ...

28. ...

29. ...

30. ...

31. ...

32. ...

33. ...

34. ...

35. ...

36. ...

37. ...

38. ...

39. ...

40. ...

41. ...

42. ...

Annexure-05



UNIVERSITY OF WINDHOLE

Handwritten notes in the bottom left corner, possibly a signature or date.

Handwritten notes in the bottom right corner, possibly a signature or date.

Annexure- VI



(A) In front of G-3 Block (Govt. Housing- Phase-1 Project)



(B) In front of G-3 Block (Govt. Housing- Phase-1 Project)



(C) Shops and existing hotel



(D) Culvert and pipeline services

Annexure- VII



(E) Govt. Housing Phase – 1 Project all 6 towers



(F) G-1,2,3 Towers (Govt. Housing Phase – 1)